छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांकः एफ 18—05/2018/नौ/55—4(5), नया रायपुर, दिनांकः 10 अगस्त, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः—राज्यान्तर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित गैर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा कराए गए उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रायः यह देखा गया है कि शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों में जब उपचार कराया जाता है, तो उनके द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में प्रावधानित नियमों का पालन न करते हुये गैर आकस्मिक परिस्थियों में भी; नियमानुसार बिना रेफरल (Referral) कराये व बिना सूचना दिये सीधे गैर—मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराया जाता है। ऐसे प्रकरणों का निराकरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम—(11) के उपनियम—(5) अनुसार शासन स्तर पर गठित कार्योत्तर स्वीकृति समिति द्वारा किया जाता है।

2/ तत्संबंध में उक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्यान्तर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित गैर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा कराए गए उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित आकस्मिक परिस्थियों में कराये गये उपचार के आधार पर ही निराकरण करते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जायेगीः—

1. गंभीर सड़क दुर्घटना,
2. अचानक दिल का दौरा पड़ना (हार्ट अटैक)
3. कैंसर संबंधी समस्त व्याधियाँ,
4. गंभीर स्थिति में प्रसूति संबंधी उपचार,
5. नक्सली घटना में घायलों के उपचार,
6. नक्सली क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य, जो राज्य से बाहर निवासरत् हो।
7. पुलिस विभाग के अंतर्गत नियोजित विभिन्न वर्ग के ऐसे सुरक्षाकर्मी (आरक्षक)/अधिकारी; जिनकी पदस्थापना उनके गृह जिले से अन्यत्र हो तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्य उसी गृह जिले में निवासरत् हो।
8. राज्य के ऐसे शासकीय सेवक जिनकी पदस्थापना उनके गृह जिले से अन्यत्र हो तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्य उसी गृह जिले में निवासरत् हो।
9. अन्य आकस्मिक (गंभीर) परिस्थितियों में कराये गये उपचार।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
आवक क्र.- 1635
दिनांक- 13/8/18
छत्तीसगढ़ (रायपुर)

क्रमशः...2...

Scanned by CamScanner

3/ उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त गैर आकस्मिक रूप से एवं पूर्व नियोजित (Elective Procedures) रूप से राज्यान्तर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित गैर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराई गई उपचार के प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के. मोटवानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक:एफ 18–05/2018/नौ/55–4(5), नया रायपुर, दिनांकः 10 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
15. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in एवं www.cgdme.co.in में अपलोड करने हेतु।
16. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. निज सहायक, समस्त मंत्री/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ, रायपुर।
18. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनु.जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
20. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
21. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़/राजनांदगांव, प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/ प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
22. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

क्रमशः...3...

Scanned by CamScanner

23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट–www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

—— उपरोक्त समस्त कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner